भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

 तारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 100

 उत्‍तर देने की तारीख: 09.03.2017

**राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत निःशक्तजनों**

**के लिए छात्रावासों हेतु धनराशि**

\*100. श्री दिग्विजय सिंहः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) में माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन की समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) योजना के तहत छात्रावासों हेतु धनराशि स्वीकृत की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न राज्यों को राज्य-वार स्वीकृत की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

 **(श्री प्रकाश जावडेकर)**

 (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**\*\*\*\*\***

**“राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत निःशक्तजनों के लिए छात्रावासों हेतु धनराशि’’ के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री दिग्विजय सिंह** **द्वारा दिनांक 09.03.2017 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 100 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण**

(क) और (ख) : जी, नहीं। राष्‍ट्रीय माध्‍यिमक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) में माध्‍यमिक स्‍तर पर नि:शक्‍तों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) घटक के तहत छात्रावास हेतु निधि संस्‍वीकृत करने की कोई विशेष योजना और प्रावधान नहीं है।

तथापि, राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान में माध्‍यमिक शिक्षा (कक्षा 9-12) के लिए पहुंच बनाने हेतु सभी नि:शक्‍त बच्‍चों को समर्थ बनाने और शिक्षा प्रणाली में उनके नामांकन और उन्‍हें बनाये रखने में सुधार करने की परिकल्‍पना की गई है। इसमें नि:शक्‍त छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की व्‍यवस्‍था है जिसमें पुस्‍तकों और लेखन सामग्री पर व्‍यय, वर्दी पर व्‍यय, परिवहन भत्‍ता, रीडर भत्‍ता, सुरक्षा भत्‍ता, छात्रावास और उपकरण की वास्‍तविक लागत शामिल हैं। इस योजना में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सहायता भी दी जाती है, इसमें संसाधन कक्ष और स्‍कूलों में संरचनागत बाधाओं को हटाने की व्‍यवस्‍था है।

\*\*\*\*\*\*